

## उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी और बुनियादी संरचना सिद्धांत

**प्रासंगिकता:** GS-2: भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और मूल संरचना।

**कीवर्ड:** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, मूल संरचना सिद्धांत, संसदीय संप्रभुता, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, लोकतांत्रिक सिद्धांत।

**चर्चा में क्यों?**

- उपराष्ट्रपति ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर बहस छेड़ दी।



**मामला क्या है?**

- उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पेश करने वाले संवैधानिक संशोधन को रद्द करने के लिए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की।
- उनके विचार में, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने संसदीय संप्रभुता को हड़प लिया है और लोकतांत्रिक अनिवार्यता के खिलाफ जाता है कि निर्वाचित विधायिका को सर्वोच्च शासन करना चाहिए।
- ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रतिपादित बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाते हुए उपराष्ट्रपति की टिप्पणी कानून की सही स्थिति को नहीं दर्शाती है।

**संसदीय कानून की सीमाएं:**

- यह सर्वविदित है कि संसदीय विधान भारत के संविधान के अंतर्गत दो सीमाओं के अधीन है।
  - एक न्यायिक समीक्षा, या किसी मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन के लिए कानून की समीक्षा करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति द्वारा है। यह अनुच्छेद 13 में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के साथ या उनके अल्पीकरण में असंगत कानून शून्य हैं।
  - दूसरा यह है कि संविधान में किसी भी संशोधन का प्रभाव इसकी किसी भी मूलभूत विशेषता को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए।

**बुनियादी संरचना सिद्धांत क्या है?**

- मूल संरचना का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक रूप है जिसका उपयोग अदालतों द्वारा किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत विकसित किया गया था। 7-6 के फैसले में, 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि

संविधान का 'मूल ढांचा' अनुल्लंघनीय है, और संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।

- यदि कोई कानून "संविधान की मूलभूत विशेषताओं" को "नुकसान या नष्ट" करता हुआ पाया जाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करता है। परीक्षण को संवैधानिक संशोधनों पर लागू किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संशोधन संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर नहीं करता है।
- इस परीक्षण को व्यापक रूप से संसद के बहुसंख्यकवादी आवेगों पर रोक के रूप में माना जाता है क्योंकि यह संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर पर्याप्त सीमाएँ लगाता है।

### भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं?

- केशवानंद के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई पहलुओं का हवाला दिया, जिन्हें दस्तावेज़ की "मूल विशेषताओं" के रूप में पहचाना जा सकता है, लेकिन यह भी कहा कि यह एक विस्तृत सूची नहीं थी।
- उदाहरण के लिए, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संघवाद, और लोकतांत्रिक गणतंत्र संरचना को मूलभूत विशेषताओं के रूप में पहचाना जाता है।
- 2015 के फैसले में जहां सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और संबंधित संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया था, "न्यायिक स्वतंत्रता" को संविधान की मूल विशेषता के रूप में पहचाना गया था।
- पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मूल संरचना सिद्धांत को लागू करके संसद द्वारा भारी बहुमत से पारित संशोधन को रद्द कर दिया (सिर्फ एक सदस्य अनुपस्थित रहा)। इसे, उपराष्ट्रपति ने संसद की संप्रभुता को कमजोर करने वाली न्यायपालिका के रूप में संदर्भित किया।

### क्या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत संसदीय संप्रभुता को कमजोर करता है?

- यह विचार कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत संसदीय संप्रभुता को कमजोर करता है, बिल्कुल गलत है।
- संसद अपने क्षेत्र में संप्रभु है, लेकिन यह अभी भी संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं से बंधी है।
- बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने संसदीय बहुमत के दुरुपयोग के माध्यम से संविधान को कमजोर होने से बचाने में मदद की थी।
- सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान की कुछ मौलिक विशेषताओं का कानून अस्तित्व से बाहर न हो जाए।
- इसे केवल कुछ ही मामलों में संशोधनों को रद्द करने के लिए लागू किया गया है, लेकिन कई अन्य बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से बच गए हैं।
- संसदीय बहुमत क्षणिक है, लेकिन संविधान की आवश्यक विशेषताएं जैसे कानून का शासन, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, समानता का विचार, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विधायी अतिरेक से स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।
- यह एक नई संविधान सभा के लिए एक और संविधान के साथ आने के लिए खुला हो सकता है जो इन मूलभूत अवधारणाओं को बदलता है, लेकिन वर्तमान संविधान के तहत गठित एक विधायिका को अपनी मूल पहचान बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

### निष्कर्ष:

- संविधान की पवित्रता और मूल चरित्र को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में मूल संरचना सिद्धांत का उपयोग किया गया है।

- यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है और अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। यह संवैधानिक संशोधनों को संविधान की पवित्रता और भावना को बनाए रखने वाले कुछ मानकों या मूल्यों के अनुरूप होने के लिए मजबूर करता है।
- न्यायपालिका कानून बनाने की संशोधन शक्तियों या शक्तियों को वापस नहीं लेती है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए केवल कुछ प्रतिबंध लगाती है।
- यह किसी भी संस्था पर अत्यधिक शक्ति या दूसरों पर शक्ति प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह संविधान और उसके सिद्धांतों की सर्वोच्चता को बनाए रखने में मदद करता है।

स्रोत: The Hindu

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'मूल संरचना' को परिभाषित करता है।
2. 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति 'सिद्धांत की मूल संरचना' का हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (b)

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धांत विकसित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर इसे परिभाषित करता है। यह भारत के संविधान द्वारा परिभाषित नहीं है। अतः **कथन 1 गलत है।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल विशेषता या संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया है। अतः **कथन 2 सही है।**

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. क्या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत संसदीय संप्रभुता को कमजोर करता है? "मूल संरचना सिद्धांत" पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें।